रजिस्ट्री सं० डी० 221 Registered No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 61] नई दिल्ली, सोमवार, जनवरी 31, 1972/माघ 11, 1893
No. 61] NEW DELHI, MONDAY, JANUARY 31, 1972/MAGHA 11, 1893

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT

ORDER

New Delhi, the 31st January 1972

S.O. 78(E)/15/IDRA/72(1).—Whereas the industrial undertaking known as Messrs. Indian Rubber Manufacturers Limited, Calcutta, is engaged in the Scheduled Industry, namely, Rubber Goods Industry;

And whereas the Central Government is of the opinion that there has been a substantial fall in the volume of production in respect of the articles manufactured in the said industrial undertaking, for which, having regard to the economic conditions prevailing, there is no justification;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 15 of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), the Central Government hereby appoints, for the purpose of making a full and complete investigation into the circumstances of the case, a body of persons consisting of:—

Chairman

Shri A. Bose, Special Officer and *Ex-Officio* Secretary, Commerce and Industry Deptt., West Bengal Government.

Members

1. Shri N. V. C. Rao, Industrial Adviser, Directorate General of Technical Development.
2. Shri M. K. Mukherjee, Sr. Deputy Accountant General, Calcutta.

The above body shall submit its report to the Central Government within a period of six weeks from the date of publication of this Order in the Official Gazette.

[No. F. 25(5)/72-PEC.]

K. S. BHATNAGAR, Jt. Secy.

औद्योगिक विकास मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 31 जनवरी, 1972

का० आ० 78 (अ) /15/आई० डी० आर० ए०/72(1).—यतः डियन रबड़ मैन्यूफैक्चरर्स लिमिटेड, कलकत्ता नामक औद्योगिक उपक्रम अनुसूचित उद्योग अर्थात् रबड़ माल उद्योग में लगा है ;

और यतः, केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि उक्त औद्योगिक उपक्रम में विनिर्मित वस्तुओं से सम्बन्धित उत्पादन के परिमाण में सारतः गिरावट आ रही है ;

अतः अब उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम 1951 (1951 का 65) की धारा 15 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा इस मामले की परिस्थितियों में पूरी तरह से अन्वेषण करने के प्रयोजनार्थ एक निकाय नियुक्त करती है जिसमें निम्नलिखित व्यक्ति होंगे ;

अध्यक्ष

श्री ए० बोस,
विशेष अधिकारी एवं पदेन सचिव,
वाणिज्य और उद्योग विभाग,
पश्चिमी बंगाल सरकार ।

सदस्य

1. श्री एन० वी० सी० राव,
   औद्योगिक सलाहकार,
   तकनीकी विकास का महानिदेशालय ।
2. श्री एम० के० मुखर्जी,
   ज्येष्ठ उप महालेखापाल,
   कलकत्ता ।

उपरोक्त निकाय राजपत्र में इस आदेश के प्रकाशन की तारीख से छः सप्ताह की अवधि के भीतर केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट पेश करेगा ।

[सं० फा० 25(5)/72-पी० ई० सी०]

के० एस० भटनागर, संयुक्त सचिव ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1972